न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00357 (236/2018) 225 आरटीएक्ट

जलन्धर सिह पुत्र श्री सिकन्दर सिह जाति जटसिख निवासी जण्डावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। – अपीलाण्ट

बनाम

1. बाबू सिंह पुत्र श्री गिन्दा सिंह
2. साधु सिंह पुत्र श्री गिन्दा सिंह
3. सेमा सिंह पुत्र श्री नत्था सिंह
4. छपिन्द्र कौर पत्नी गुरतेज सिह

अकवाम जटसिख निवासीयान ज़ण्डावाला सिखान तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ –असल रेस्पोडेण्ट

5. बलजिन्द्र कौर पत्नी सिकन्दर सिह जाति जट सिख निवासी जण्डावाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. परमजीत कौर पुत्री सिकन्दर सिह जाति जटसिख निवासी जण्डावाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। –तरतीबी रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.06.2018 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर संगरिया प्रकरण संख्या 149/2016 अनवानी बाबू सिंह बनाम साधू सिंह

श्री वतनदीप सिह मान अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशप्रीत सिह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

निर्णय दिनांक:– 24.06.2019

1. उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में चक 11 एएमपी के प. नं. 150/159 मु. नं. 47 के किला नं. 20 व 21 में पत्थर लाईन के साथ–साथ उत्तर से दक्षिण में दो दो बिस्वा रास्ता मन्जूर करने एवं राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी बतौर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता मंजूर करने से पूर्व नियम 69 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधान के मुताबिक मौका निरिक्षक उपखण्ड अधिकारी स्वयं या भू–अभिलेख निरिक्षक के स्तर के अधिकारी से दोनों पक्षों की मौजूदगी में नक्शा तैयार करते समय दोनों पक्षों की उपंस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में पंटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 व 6 लघू काश्तकार हैं रास्ता स्वीकृति से इनकी भूमि दो टुकड़ों में विभक्त हो जायेगी। मई व जून 2018 में न्याय आपके द्वारा राजस्व अभियान चल रहे थे जिससे प्रकरण में कोई भी आगामी पेशी नहीं दी गई थी तथा न ही अपीलाण्ट के अधिवक्ता या अपीलाण्ट को पत्रावली अभियान में लेकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाने की किसी प्रकार की सूचना दी गई। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। बिना सुनवाई के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें पारिवारिक सहमति से खाला व रास्ता की सुविधा के अनुसार खाता विभाजन किया था। रेस्पोडेण्ट किला नं. 23 से 22 में आवागमन कर सकता है। समस्त पक्षकारों द्वारा रास्ता खाला की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि का बंटवारा किया गया था और इसी रास्ते से रेस्पोडेण्ट आवागमन करता आ रहा है। रेस्पोडेण्ट ने इसी लिए विभाजन के समय रास्ता स्वीकृत नहीं करवाया था। राजस्व लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार में सिर्फ दोनों पक्षकारान की सहमति से प्रकरण का निस्तार किया जा सकता है लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट का यह कथन गलत है कि पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त की गई थी अधीनस्थ न्यायलाय ने गिरदावर हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की है और इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है। रास्ते का मामला आत्यंतिक आवश्यकता का मामला है और अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने के बाद 2 वर्ष तक पत्रावली चलती रही और फिर भी निर्णय गुणावगुण के आधार पर ही किया गया है। रेस्पोडेण्ट रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि देने के लिए तैयार है तथा यदि अपीलाण्ट चाहे तो बाजार मूल्य की दर से भुगतान करने को तैयार है। मु. नं. 47 में जो भूमि है वह रास्ते पर नहीं लगती हैं, जो रास्ता मांगा गया है वह निकटतम रास्ता है। अपीलाधीन निर्णय उचित एवं विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने प्रार्थना-पत्र 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया था जो अप्रार्थीगण की तलबी व जवाब हेतु रखा गया था। प्रकरण में जवाब हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने की वजह से जवाब बंद करते हुए राजस्व अभियान में रास्ता स्वीकृत किया गया है। रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट ली गई है जो अभियान/निर्णय की दिनांक 08.06.2018 के पूर्व 16.01.2017 को तहसीलदार द्वारा प्रेषित की जा चुकी थी जो पत्रावली में शामिल है। मौका रिपोर्ट गिरदावर द्वारा मौके पर तैयार की ई। मुताबिक मौका रिपोर्ट रास्ता नियमानुसार स्वीकृत किये जाने की अभिशंषा की गई है जिसके अनुसार अपीलाधीन आदेश के द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह है उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिला जो उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि पत्रावली में जवाब हेतु काफी असर दिये जा चुके थे। तहसीलदार की रिपोर्ट प्रकरण में निर्णय तिथि से पूर्व लगभग 1-1/2 वर्ष तक शामिल रही है जिसके संबंध में इन्होंने कोई जवाब पेश नहीं किया। अपीलाण्ट जो उज्र उठाये हैं उनका कोई स्पष्ट आधार अपीलाण्ट द्वारा नही दिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट के आवागमन हेतु उचित वैकल्पिक रास्ता ही नहीं बताया है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिससे रेस्पोडेण्ट अपनी भूमि में आवागमन कर सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य ।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिना 08.06.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

24/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)